न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 165/2022 निर्णय दिनांक: 07.02.2023
ऑनलाईन नंबर 2022/197

चीमाराम पुत्र गीधाराम जाति जाट निवासी दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. करणाराम पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
3. पेमाराम पुत्र स्व. ईश्वरराम जाति जाट निवासी दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. बेगाराम पुत्र स्व. ईश्वरराम जाति जाट निवासी दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. गणेशाराम पुत्र स्व. ईश्वरराम जाति जाट निवासी दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. भीखाराम पुत्र स्व. ईश्वरराम जाति जाट निवासी दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. मनोहरी पुत्र स्व. ईश्वरराम जाति जाट निवासी दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राधेश्याम दर्जी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजीव आत्रेय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ता 6
3. एकतरफा कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 7
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 442 तादादी 4.14 हैक्टेयर वाकेरोही दुलचासर पटवार हल्का दुलचासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहा है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 443 तादादी 5.19 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 के पिता ईश्वर वल्द भोमा की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 444 तादादी 5.43 हैक्टेयर वाकेरोही दुलचासर में स्थित रहा है। खसरा नम्बर 442, 443, 444 कुल तादादी 14.7600 हैक्टेयर की खातेदारी अलग—अलग रूप से क्रमशः प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 एवं अप्रार्थी 3 ता 7 पिता ईश्वरराम के नाम से रोही ग्राम दुलचासर में रही है। यह है कि कालान्तर में ईश्वरराम की मृत्युपरांत उनके वारिसान गणेशाराम, पेमाराम, बेगाराम, भीखाराम, गोरधनराम के नाम खसरा नम्बर 444 में खातेदारी दर्ज हुई। गणेशाराम, पेमाराम, बेगाराम, भीखाराम, गोरधनराम के उक्त संयुक्त खाते[illegible] के [illegible]त खसरा नम्बर 444 को न्यायालय श्रीमान् के निर्णय से विभाजित हो गया [illegible] बेगाराम के नाम खसरा नम्बर 533/444 (मध्य की) तादादी 1.60 हैक्टेयर [illegible] रूप में, पेमाराम के नाम [illegible] नम्बर 534/444 (दक्षिणी) तादादी 2.42 हैक्टेयर के रूप में तथा गोरधनराम [illegible] खसरा नम्बर 532/444 (उतरी) तादादी 1.41 हैक्टे[illegible] के रूप में खातेदारी द[illegible]। गोरधनराम लावल्द अविवाहित फौत हो गया तत्पश्चात् गोरधनराम के हक हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.28 10:50:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खातेदार उनके जायज एवं कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 के नाम दर्ज हो गई। यह है कि सम्वत् में सेटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 442, अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 के पिता ईश्वर के नाम खसरा नम्बर 444 जो अलग अलग रूप से रोही ग्राम दुलचासर में दर्ज थी, जिनको दुलचासर की रोही से हटाकर रोगी ग्राम गोपालसर में खेत खसरा नम्बर 287 कुल तादादी 14.7600 हैक्टेयर के रूप में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 ता 7 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज कर दी गई। यह है कि ईश्वरराम व उसके पुत्र गोरधनराम की मृत्यु के बाद वर्तमान खसरा नम्बर 287 तादादी 14.7600 हैक्टेयर रोही गोपालसर में प्रार्थी के नाम 23/82 हिस्सा तदनुसार 4. 1400 हैक्टेयर भूमि, अप्रार्थी संख्या 2 (करणाराम) के नाम 173/492 हिस्सा तदनुसार 5. 19 हैक्टेयर भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 3 पेमाराम के नाम 1351/7380 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 बेगाराम के नमा 941/7380 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 (गणेशाराम) के नाम से 47/2460 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 भीखाराम के नाम 47/2460 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 7 मनोहरी के नाम 47/2460 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। यह है कि मौका स्थिति के अनुसार आज भी प्रार्थी का पुराने खसरा नम्बर 442 तादादी 4.1400 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 443 तादादी 5.1900 हैक्टेयर पर अप्रार्थी संख्या 22 का कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 444 पर अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है परन्तु राजस्व अमला द्वारा उपरोक्त खसरान भूमि को रोही दुलचासर से हटाकर एक ही नया खसरा नम्बर 287 तादादी 14.7600 हैक्टेयर कायम करते हुए रोही ग्राम गोपालसर में खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज कर दी गई है। यह है कि प्रार्थी ने जब गांव में यह चर्चा सुनी कि दुलचासर की रोही के काफी खेतों को राजस्व अमला द्वारा गोपालसर की रोही में तब्दील कर दिए हैं तो प्रार्थी ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व जमाबंदी, राजस्व नक्शा, मिलान क्षेत्रफल, इन्तकाल आदि की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 04.07.2022 को निकलवाई तो प्रार्थी को सम्पूर्ण जानकारी हुई कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 442 को व अप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 443 एवं अप्रार्थी सं. 3 ता 7 के नाम खेत खसरा नम्बर 444 को एकल रूप में खसरा नम्बर 287 कायम करते हुए गोपालसर की रोही में तब्दील कर दिया है जबकि उक्त खसरा भूमि में प्रार्थी का अपनी 4.1400 हैक्टेयर भूमि पर पूर्व में अलग ही कब्जा काश्त है और इसी अनुसार अप्रार्थी सं. 2 व 3 ता 7 का अलग अलग कब्जा काश्त हैं। प्रार्थी अपनी उक्त 4.1400 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान खसरा नम्बर 287 में 23/82 हिस्सा के रूप में दर्ज है को पूर्ववत् खसरा नम्बर 442 तादादी 4.14 हैक्टेयर के रूप में शुद्धिकरण करवाने का कानूनन अधिकारी है। लोकेशन के संबंध में प्रार्थी को कोई उजर आपत्ति नहीं है। राजस्व जमाबंदियां, नक्शा आदि की प्रमाणित प्रतियां वास्ते अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 ता 7 से दिनांक 30.05.2022 को सम्पर्क कर राजस्व अमला द्वारा खेत खसरा नम्बर 442, 443, 444 को रोही दुलचासर से रोही गोपालसर में तब्दील करने व एकल खसरा नम्बर 287 के रूप में संयुक्त खातेदारी दर्ज कर देने की बात बताई व इनसे वापिस सही रूप से खसरा नम्बरों की दुरूस्ती आपसी सहमति से दर्ज करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी सं. 2 ता 3 ने कहा कि हमारे पास तो समय नहीं है, आप सही करवा लो तो प्रार्थी ने फिर अप्रार्थी सं. 1 से दिनांक 04.07.2022 को मिला व उक्त राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा आदि को दिखाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी सं. 1 ने राजस्व रिकॉर्ड देखकर कहा कि सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार की तब्दीली की गई है परन्तु इस प्रकार [illegible] ली को मैं नहीं सुधार सकता, इसके लिए आपको सक्षम न्यायालय से आदेश [illegible] हो [illegible] भी मैं आपके नाम सही रूप से अलग खसरा दर्ज कर [illegible] उक्त संशोधन होने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई वि[illegible] जबकि इसके विपरीत प्रार्थी का नाम खसरा नम्बर 442 रोही दुलचासर से विलोपि[illegible] कर गलत रूप से खसरा नम्बर 287 रोही गोपालसर में संयुक्त खातेदारी में दर्ज कर देने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। यह है कि प्रार्थी की उपर्युक्त खसरा नम्बर 442 की भूमि को खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.28 10:50:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

287 में संयुक्त रूप से कर देने से प्रार्थी को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी पूर्व में चले आ रहे अपने नाम खसरा नम्बर 442 तादादी 4.1400 हैक्टेयर के रूप में राजस्व रिकॉर्ड की शुद्धि करवाने का अधिकारी है। अगर न्यायालय श्रीमान् उचित समझे तो खसरा नम्बर 287 में प्रार्थी के हिस्से की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अलग से खसरा बनाया जाकर नक्शा में अलग से तरमीम किया जाकर शुद्धिकरण का आदेश प्रदान किया जा सकता है। यह है कि वर्णित खसरा भूमि ग्राम गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना–पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी के पुराने खेत खसरा नम्बर 442 को व अप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 443 को एवं अप्रार्थी सं. 3 ता 7 के नाम खेत खसरा नम्बर 444 वाकेरोही दुलचासर को एकल रूप में खसरा नम्बर 287 कायम करते हुए गोपालसर की रोही में तब्दील कर दिया है की राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा अक्स में पुनः उसी रूप में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे। विकल्प में न्यायालय श्रीमान् उचित समझे तो खसरा नम्बर 287 में प्रार्थी के हिस्से की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अलग से खसरा बनाया जाकर नक्शा में अलग से तरमीम किया जाकर शुद्धिकरण का आदेश प्रदान किया जा सकता है।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 7 के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में अप्रार्थीगण एवं स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

रोही ग्राम दुलचासर के खेत खसरा नम्बर 442 को व अप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 443 को एवं अप्रार्थी सं. 3 ता 7 के नाम खेत खसरा नम्बर 444 को एकल रूप में खसरा नम्बर 287 कायम करते हुए गोपालसर की रोही में तब्दील कर दिया है, को रोही गोपालसर में ही रखतें हुए ही राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा अक्स में पुनः उसी रूप में शुद्धिकरण करनें का आदेश दिया जाता है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चत करें।

आदेश आज दिनांक 07.2.23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.28 10:30:19 IST
Reason: SelfAttested